| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br><br>राजूराम विश्नोई बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार लूणी )<br><br>सू.अ.अ. अपील संख्या 121/2020 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 14.09.20 | अपीलार्थी राजूराम विश्नोई, पता 564, मंगलनगर गुड़ा विश्नोईयान, पं.सं.लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.06..20 में उसके द्वारा (1) एस.बी.सिविल रिट संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 की पालना में श्रीमान् अध्यक्ष राजाराम आश्रम (प.) ट्रस्ट को आवंटित जमीन खसरा नम्बर 390/1 रकबा 20.13 बिस्वा के आवंटन को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश की पालना में रेफरेंस नम्बर 109/2012 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( तहसीलदार लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..( तहसीलदार लूणी ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Inda
Date: 2020.10.13 17:50:39 IST
Reason: SelfAttested